17/4/26

पत्रावली वास्ते रीडर पेश हुई। कमि० प्राप्ति व पेशकार रिपोर्ट उपरान्त मूल वाद में रीडर होने से यह पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से संचित आदेश शामिल किया जाकर नंबर से कम हो।

रीडर पूनाराम

GCMS 2022/248

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.21 18:39:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जय प्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 219/2022 GCMS:-2022/248 दायर दिनांक : 27.07.2022

उदराम पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......प्रार्थी

बनाम

1. कालूराम पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट निवासी ग्राम लालगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. शाखा प्रबन्धक ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा बीरमाना, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955

उपस्थितः

1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़ प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 17.04.2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, पक्षकार के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 चक 9 एम.सी. के खाता सं. 3 नया 3 पुराना के प.न. 178/21 का कि.न. 3 ता 25 सालम में 5.819 है. कमाण्ड रकबा खातेदारी दर्ज है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जबरन प्रवेश कर अतिचार करने की सम्भावना है व वाद के साथ वाद चलन के दौरान अतिचार रोकने के लिए स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 27.07.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को उक्त भूमि में दखलंदाजी ना करने हेतु स्थगन से पाबंद किया गया प्रार्थना पत्र में अंतिम बहस दिनांक 08.04.2026 को सुना गया।

इस मामले में वाद का निर्णय हो चुका है जिसमें अप्रार्थी को उक्त भूमि में प्रवेश हेतू स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा चुका है वाद का निर्णय होने से प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है इसे वाद के निर्णय अनुसार निर्णित माना जाकर पत्रावली को नम्बर से कम कर दाखिल दफतर की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena

Date: 2026.04.21 18:39:33 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़